



2026:AHC: 177832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 369 वर्ष 2023

सौरभ द्विवेदी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: ललित कुमार त्रिपाठी, निखिल पाठक, रण विजय सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: आशीष कुमार, शासकीय अधिवक्ता, गौरव सिंह, प्रशांत कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रण विजय सिंह और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की सहायता से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृपा शंकर को सुना गया।

आदेश दिनांक 07.08.2026 के माध्यम से, राज्य के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थियों को बंदी (कार्पस), अविका द्विवेदी को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला एटा के उप-निरीक्षक कपिल सोलंकी (पी.एन.ओ. 152023618) द्वारा उसे इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), अविका द्विवेदी से बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग आठ वर्ष है और वह दून पब्लिक स्कूल, एटा में कक्षा 3 में पढ़ रही है। उसने कहा कि वह अपने नाना-नानी और मामा के साथ रह रही है और उनकी संगति में सहज है। उसने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपने पिता, अर्थात् याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी को पहचाना और स्वीकार किया कि वह उनसे मिल रही है और बातचीत कर रही है। हालांकि, यह स्पष्ट था कि बंदी (कार्पस) और उसके पिता के बीच भावनात्मक बंधन मजबूत नहीं है। इसके कारणों पर इस आदेश में बाद में विचार किया जाएगा। उसने कहा कि वह अपने पिता, सौरभ द्विवेदी के साथ नहीं रहना चाहती है और अपने नाना-नानी के साथ ही रहना चाहती है।

यह भी स्पष्ट था कि बंदी (कार्पस) का अपने नाना-नानी के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन है, क्योंकि वह बचपन से ही उनके साथ रह रही है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह डीग, राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत है, और लगभग 75,000/- रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहा है। उसने खुलासा किया कि उसकी पहली पत्नी, त्रिशा मिश्रा की बंदी (कार्पस) को जन्म देने के तुरंत पश्चात मृत्यु हो गई थी और उसने तत्पश्चात 02.03.2025 को नंदिनी द्विवेदी के साथ अपना दूसरा विवाह संपन्न किया है। उसने तर्क दिया कि, बंदी (कार्पस) का पिता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा का हकदार है और उसकी उचित देखभाल करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह बड़ी होकर देश की एक जिम्मेदार नागरिक बने। उसने आगे तर्क दिया कि, चूंकि उसकी पहली पत्नी की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी असामयिक मृत्यु के संबंध में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लंबित नहीं है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी, अर्थात् नंदिनी द्विवेदी से भी बातचीत किया। वह स्नातक है और एक शालीन और जिम्मेदार महिला प्रतीत होती है। उसने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करेगी। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके पहले विवाह से उसका एक पुत्र है, जिसकी आयु लगभग दस वर्ष है। उसके हाव-भाव और जिस तरीके से उसने न्यायालय के साथ बातचीत किया, उसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि वह बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करने में सक्षम है और बंदी (कार्पस) उसकी संगति में सुरक्षित रहेगी।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 से भी बातचीत किया, जो बंदी (कार्पस) के नाना-नानी हैं। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही बंदी (कार्पस) की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पुत्री की असामयिक मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उनकी पुत्री की असामयिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मृत्यु में योगदान दिया था। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त मृत्यु के संबंध में उनके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध न तो कोई एफआईआर और न ही कोई आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। इसलिए, उनका यह आरोप कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से उनकी पुत्री की असामयिक मृत्यु के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार था, किसी भी समर्थनकारी सामग्री के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

नाना-नानी ने आगे तर्क दिया कि, बचपन से ही बंदी (कार्पस) की देखभाल करने के कारण, उसने उनके साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित कर लिया है। यह इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) के आचरण और हाव-भाव से भी स्पष्ट था। वह उनकी संगति में बहुत सहज प्रतीत हुई और उसने उनके साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की आयु और परिस्थितियों पर भी विचार किया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 की आयु लगभग 67 वर्ष है और प्रत्यर्थी संख्या 3 की आयु लगभग 65 वर्ष है और दोनों सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं। बंदी (कार्पस) के सर्वोपरि कल्याण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय केवल बंदी (कार्पस) द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अभी भी काफी छोटी है और अपने भविष्य के लिए अपनी पसंद के परिणामों का आकलन करने और पूर्वानुमान लगाने की स्थिति में नहीं हो सकती है।

इस न्यायालय के सुविचारित मत में, समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने नाना-नानी के साथ रहने की बंदी (कार्पस) द्वारा व्यक्त की गई इच्छा को, अपने आप में, अभिरक्षा के प्रश्न का निर्धारक नहीं माना जा सकता है। यह बंदी (कार्पस) के सर्वोपरि हित और कल्याण में होगा कि उसकी विधिक अभिरक्षा याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी, और उसकी पत्नी, नंदिनी द्विवेदी को सौंपी जाए, जो उसे उचित देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और एक स्थिर पारिवारिक वातावरण प्रदान करने में सक्षम प्रतीत होते हैं ताकि वह बड़ी होकर देश की एक जिम्मेदार नागरिक बन सके।

यह भी स्पष्ट है कि, आदेश दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से, याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी को प्रत्येक पखवाड़े में एक बार बंदी (कार्पस) से मिलने के लिए मुलाकात का अधिकार प्रदान किया गया था। परिस्थितियों में, इस तरह की सीमित मुलाकात याचिकाकर्ता के लिए बंदी (कार्पस) के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन विकसित करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होती है। यह इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) के हाव-भाव से भी स्पष्ट है। इस तथ्य की आगे पुष्टि प्रत्यर्थी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 2, अशोक कुमार मिश्रा द्वारा दाखिल संक्षिप्त प्रति शपथ पत्र से होती है, जिसमें यह खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2023 से आज तक नियमित रूप से बंदी (कार्पस) से मिलने में सक्षम नहीं रहा है।

उक्त शपथपत्र यह भी इंगित करता है कि याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी की अनुपस्थिति में बंदी (कार्पस) की देखभाल करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था। हालांकि, अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी, नंदिनी द्विवेदी, उसकी अनुपस्थिति में बंदी (कार्पस) की देखभाल करने के लिए उपलब्ध है।

बंदी (कार्पस) के सर्वोपरि कल्याण और सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय केवल बंदी (कार्पस), अविका द्विवेदी द्वारा अपने नाना-नानी के साथ रहने के लिए व्यक्त की गई इच्छाओं द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता है। उनकी उन्नत आयु और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी, और उसकी पत्नी, नंदिनी द्विवेदी, वर्तमान में बंदी (कार्पस) को उचित देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा और एक स्थिर वातावरण प्रदान करने की बेहतर स्थिति में हैं।

याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी ने भी इस न्यायालय को आश्वस्त किया है कि वे बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करेंगे और उसकी शिक्षा, सुरक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करेंगे। इस न्यायालय के पास उक्त आश्वासन पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने का हर कारण है।

तदनुसार, बंदी (कार्पस), अविका द्विवेदी की स्थायी अभिरक्षा याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी को सौंपी जाती है। हालांकि, बंदी (कार्पस) और उसके नाना-नानी के बीच भावनात्मक बंधन को संरक्षित और मजबूत करने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को मुलाकात का अधिकार होगा। वे आपसी सुविधा के अधीन और बंदी (कार्पस) की शिक्षा और दिनचर्या में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना, जब भी वे चाहें, याचिकाकर्ता के निवास पर बंदी (कार्पस) से मिलने के हकदार होंगे। वे मोबाइल फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने के भी हकदार होंगे।

पूर्वोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **निस्तारित** की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को भुगतान किए जाने वाले 15,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। उक्त राशि इस न्यायालय के समक्ष डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दी गई है। हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने प्रस्तुत किया है कि वे उक्त राशि प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे याचिकाकर्ता को वापस किया जा सकता है।

पूर्वोक्त तर्क के दृष्टिगत, इस न्यायालय के महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे विधि के अनुसार उक्त राशि याचिकाकर्ता, सौरभ द्विवेदी को वापस कर दें।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

21 अगस्त, 2026

मयंक